न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1990/2004/बाराँ

1– केशरबाई बेवा गोगराज,
2– रामभरोसे पुत्र गोगराज, जाति धाकड़ निवासी इकलेरा, तहसील व जिला बाराँ।

------ अपीलांट्स

बनाम

1– घीसीबाई पुत्री चन्दा जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ,
2– कलावंती पुत्री चन्दा जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ,
3– भूलीबाई नाबालिग पुत्री चन्दा जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ जरिये माता नहरी बाई पत्नी चन्दा,
4– कमलाबाई नाबालिग पुत्री चन्दा जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ जरिये माता नहरी बाई पत्नी चन्दा,
5– नहरीबाई बेवा चन्दा जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ,
6– मूलचन्द पुत्र गोगराज जाति धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ,
7– गजरी बेवा मोती (मृतक):–
7/1. कल्याणी पत्नी सीताराम धाकड़ निवासी इकलेरा तहसील व जिला बाराँ
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाराँ।

------ रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :– 30.09.2024**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा की अपील संख्या 248/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील डिक्री/टीए/1990/2004/बाराँ
केशरबाई बनाम घीसीबाई

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, बाराँ के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188, एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि ग्राम इकलेरा तहसील बाराँ की आराजी खसरा नं0 748 रकबा 2.45 है0 भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करवायी जावें व वादपत्र में वर्णित भूमि कुल किता 5 रकबा 4.98 है0 में से 2.45 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने के बाद शेष बची आराजी 2.53 है0 भूमि में वादीगण का 1/3 भाग में से 2/3 भाग जो वादीगण के हिस्से का 0.56 है0 होता है, पृथक से वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज फरमाने का निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–02–2002 से दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। इसी निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–04–2004 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22–04–2004 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने खसरा नं0 748 रकबा 2.45 है0 का वादी/अपीलांट के हक में पंजीकृत दानपत्र था

जिसके आधार पर खसरा नं0 748 की सम्पूर्ण भूमि पर वादी का कब्जा काश्त था और उसी अनुसार उनके खाते में दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु उक्त बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्भावनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया है कि एक खातेदार के विधिक वारिसान होते हुए दानपत्र निष्पादित नहीं किया जा सकता जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड दानपत्र था जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 3 में रजिस्टर्ड दानपत्र के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण ने कोई रिबटल नहीं दिया, अर्थात् एक्जीविट–4 को सही मान लिया और इसी के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जिस पर अपीलीय न्यायालय ने कोई विवेचन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 1 ल0 6 वादीगण के पक्ष में मानी तथा अन्य तनकी को भी वादीगण के विरूद्ध तय नहीं की फिर भी वादी का दावा आंशिक डिक्री कर विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित करने में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने कानूनी भूल की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी नं0 9 व 10 पारित करने में भूल की है क्योंकि कल्याणी बाई, गजरी बाई की लड़की है किन्तु उसे सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 हिस्सा दिलाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कानून का उल्लंघन किया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सही मानने में त्रुटि कारित की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गोगराज के जायन्दा पुत्र मूलचन्द को प्रश्नगत आराजी में से कुछ भी हक व हिस्सा नहीं देकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–04–2004 एवं विद्वान उपजिला कलक्टर, बाराँ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–02–2002 निरस्त करते हुए वादी/अपीलांट को खसरा नं0 748 रकबा 2.45 है0 का पूर्णरूप से तथा अवशेष भूमि में से अपने हिस्से अनुसार खातेदार घोषित करते हुए बंटवारे की डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी में दोनों पक्षों ने बाहमी बंटवारा कर रखा था। गोगराज ने नाता विवाह किया जिसके साथ

एक लड़का गैलड़ आया। गोगराज ने अपने हिस्से की जमीन वादीगण को दी तथा खसरा नं0 483 गोगराज के हिस्से में आई। गोगराज अपने हिस्से की समस्त आराजी दे चुका था। दस्तावेज चन्दालाल ने नहीं किया तथा दस्तावेज पूरे पढ़े जायेगे। कब्जा नहीं दिया। गिफ्टडीड मान्य नहीं है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। उन्होनें अपने कथन के समर्थन में 1997 डी0एन0जे0 पेज 134, 40, 2017 आर0आर0टी0 पेज 240 एवं 2015 आर0आर0डी0 पेज 105 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपजिला कलक्टर, बाराँ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–02–2002 में अंकित किया है कि दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है।

8– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–04–2004 में अंकित किया है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जाता है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 एक्जीविट 3 के अनुसार विवादित आराजी में गोगराज, चन्दा पुत्र मोतीलाल एवं गजरी पत्नी मोतीलाल प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 एक्जीविट–1 के अनुसार चन्दा पुत्र मोती का हिस्सा 1/3, रामभरोस, मूलचन्द पुत्र केशर बेवा गोगराज हिस्सा 1/3 तथा गजरी बेवा मोती प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज है। इसी जमाबन्दी में नोट दर्ज है कि नामान्तरकरण सं0 347 से मृतक चन्दा के स्थान पर घीसी बाई, कलावती बाई, मूली बाई, ममता बाई पुत्रिया एवं नट्टी बाई बेवा का नाम दर्ज हुआ। दानपत्र में अपीलांट के द्वारा स्वयं का 1/3 हिस्सा पृथक से घोषित कराने की मांग की जा रही है। दानपत्र के आधार पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में कोई अमल कराने का प्रयास नहीं किया गया है एवं ना ही इस विषय में पूर्व

में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ है। मोतीलाल की मृत्यु के बाद गोगराज, चन्दालाल एवं उसकी बेवा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चन्दालाल की बेवा एवं उसकी पुत्रियों का चन्दा के हिस्से की आराजी में विधिक अधिकार है एवं गजरी के 1/3 हिस्से की भूमि में उसकी विधिक पुत्री कल्याणी का विधिक अधिकार है। रेस्पो0 पूर्व खातेदारों के विधिक वारिसान होने के कारण उनके हिस्से की आराजीयात में स्वयं का हिस्सा पाने के हकदार है।

11- दानपत्र एक्जीविट-4 में गोगराज पि0 मोतीलाल अवस्था 32 वर्ष द्वारा अपने हिस्से की आराजी खसरा नं0 183 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा का मु0 केशरबाई एवं उसके पुत्र रामभरोस के पक्ष में दान की गई है। श्री चन्दालाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दानपत्र नहीं किया गया है। अतः उसके वारिसों को भूमि से वंचित किया जाना विधिसम्मत् नहीं है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, बाराँ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-02-2002 विधिसम्मत् है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा विस्तृत विवेचन कर अपने निर्णय दिनांक 22-04-2004 से यथावत् रखा गया है।

12- दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

13- योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते हैं।

14- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

15- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष